राजस्व वाद संख्याः– 104/2021
रमेश गाडिया बनाम अमीलाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 05.10.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रुयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 104/2021

रमेश गाडिया पुत्र श्री शंकर लाल गाड़िया, उम्र 5 साल जाति महाजन निवासी रेलवे स्टेशन के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।

– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र बीरबल, उम्र 65 साल जाति जांगिड़ब्राहमण, निवासी खातियों की ढाणी, अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. सत्यनारायण पुत्र बीरबल, उम्र 60 साल जाति जांगिड़ब्राहमण, निवासी खातियों की ढाणी, अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. राजियाबेगम पत्नी इमामुदीन, उम्र वयस्क, जाति मुसलमान, निवासी खातियों की ढाणी, अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. वीरेन्द्र भालोठिया पुत्र रिछपालसिंह भालोठिया, उम्र 55 साल, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 18 चौधरी कॉलोनी, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
5. सुमन पुत्री बंशीलाल, उम्र वयस्क, जाति जांगिड़ब्राहमण, निवासी खातियों की ढाणी, अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं हाल आबाद नगली गुजरान, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।
6. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

दिनांक –05.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर ख0न0 456 रकबा 1.34 है0 स्थित राजस्व ग्राम अड़ूका राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 अमीलाल पुत्र बीरबल हिस्सा 14/335, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता छिन्नो देवी पत्नी बीरबल का हिस्सा 281/2680 जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही अपनी माता के विधिक उत्तराधिकारी होने के चलते अपनी माता के हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी है को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बराबर दर्ज कर दिया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 सत्यनारायण पुत्र बीरबल हिस्सा 43/536, प्रतिवादी संख्या 3 राजियाबेगम पत्नी इमामुदीन हिस्सा 13/335, प्रतिवादी संख्या 4 वीरेन्द्र भालोठिया हिस्सा 2071/6700, प्रतिवादी संख्या 5 सुमन पत्नी बंशीलाल हिस्सा 259/6700 तथा वादी का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

259 / 670 है0 है के उक्तानुसार विभाजित कर अलग खसरा कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश देवें।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कि वादी के उक्त हिस्से में मदालखत न तो स्वयं करें न अन्य से करवाये।

(ग) यह कि अन्य कोई सिद्धि चाहे जाने से रह गई हो मुफीद वादी हो वादी के हक में दिये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज लगवाई गई। बावजूद तामील आवाज पर ना ही प्रतिवादीगण उपस्थित हुए ना ही उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 456 रकबा 1.34 है0 स्थित राजस्व ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0 / 2023 / 1177 दिनांक 08.08. 2023 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 104 / 2021
रमेश गाडिया बनाम अमीलाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 05.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी :–

राजस्व वाद सं.– 104 / 2021

निर्णय दिनांक :– **05-10-2023**

रमेश गाडिया **बनाम** अमीलाल वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री लोकेश शर्मा एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **05.10.2023** को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 456 रकबा 1.34 है0 स्थित राजस्व ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0 / 2023 / 1177 दिनांक 08.08.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **05.10.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़